

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर, 2015

क्रमांक एफ 19-78/2015/1/4 :: नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र0 एफ 4-174/2012/18-1 दिनांक 25/11/2014 द्वारा राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान, भोपाल के शासी परिषद एवं कार्य परिषद के गठन किया गया था ।

राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नानुसार शासी परिषद का पुर्नगठन करता है :—

1	मुख्य सचिव म0प्र0 शासन	अध्यक्ष (NIGUM)
2	प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
3	सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग	सदस्य
4	महापौर, नगर पालिका निगम भोपाल	सदस्य
5	संचालक, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्व विद्यायल, भोपाल	सदस्य
6	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल	सदस्य
7	संचालक, स्कूल ऑफ़ प्लानिंग भोपाल	सदस्य
8	निदेशक, राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान भोपाल	सदस्य सचिव

शासी परिषद की बैठक शीघ्र आयोजित कर निम्यावली की कंडिक-7 में दिये गये प्रावधान के अनुसार उपयुक्त अकादमिक(शैक्षणिक जगत)(ऐद्योगिक जगत) एवं नगर समाज (सिविल सोसायटी) के सदस्यों के नाम के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार मिश्र)
उप सचिव

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग
पृ0 क्रमांक एफ 19-78/2015/1/4 भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

प्रतिलिपि:- 1. अध्यक्ष / सदस्य / सदस्य सचिव

2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल ।
 3. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल ।
 4. नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

80/
उप सचिव

म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

१८/१८/२०१५